डॉ० लक्ष्मन

बनाम

कर्नाटक राज्य व अन्य।

(दाण्डिक अपील संख्या-2019 का 1573-1575) अक्टूबर 17, 2019

[आर० भानुमथी व आर० सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्तिगण]

दाण्डिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: दाण्डिक अपील संख्या-2019 का 1573-1575 दाण्डिक याचिका संख्या 2017 का 2383, 2013 का 7976 व 2016 का 7161 में कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरू के निर्णय व आदेश दिनांकित 28.04.2017 से ।

अरूण जोशी , अंकोलेकर गुरूदत्ता, चंदन मालापुर, मुकेश कुमार सिंह, मोहित कौशिक, राजेंद्र कौशिक, अपीलार्थी हेतु अधिवक्तागण।

आर० बसंत, वरिष्ठ अधिवक्ता, आनंद संजय एम० नुली, सुनील राव, धर्म सिंह, नंदा कुमार के०वी०, प्रबल मिश्रा, सूरज कौशिक, मनु कृष्णा (मे० नुली एण्ड नुली के लिए) , वी०एन० रघुपथी, मो० अपजल अंशारी, उत्तरदातागण हेतु अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया द्वारा

आर० सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ति ।

1- अनुमति प्रदान की गई।

2- ये दाण्डिक अपीलें दाण्डिक याचिका संख्या 2017 का 2383, 2013 का 7976 व 2016 का 7161 में कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरू के निर्णय व आदेश दिनांकित 28 अप्रैल 2017 से छुब्ध हो कर शिकायतकर्ता द्वारा दायर की गई है। उपरोक्त आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा उत्तरदातागण – अभियुक्त द्वारा धारा 482 दं०प्र०सं० के अंतर्गत योजित याचिकाओं को स्वीकार किया गया और चतुर्थ ए०सी० एम०एम०, बेंगलुरू के समक्ष योजित परिवाद पी०सी० आर०संख्या 2013 का 12317, अष्टम ए०सी०एम०एम०, बेंगलुरू के समक्ष योजित परिवाद पी०सी०आर०संख्या 2015 का 14420 व अष्टम ए०सी०एम०एम०, बेंगलुरू द्वारा पी०सी०आर०संख्या 2015 का 14420 में पारित आदेश दिनांकित 27 नवंबर 2015 (27 जुलाई 2015 के रूप में गलत वर्णित) , संजय नगर पुलिस स्टेशन को मामले के अन्वेषण हेतु निर्देशित किये जाने हेतु, को निरस्त कर दिया गया।

3- अपीलार्थी ने 29 अप्रैल 2013 मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, बेंगलोर के समक्ष परिवाद योजित किया था जो कि पी०सी०आर० संख्या 2013 का 12317 के रूप में अभियुक्तगण ए 1 से ए 5 , (1) मे० प्रमिला संतोष लैण्ड डवलपर्स एण्ड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, (2) डी०टी० संतोष (3) डी०सी० थमन्ना (4) श्रीमती के०जी०प्रमिला व

(5) मे० श्री सांई डवलपर्स के विरूद्ध भा०दं०सं०की धारा 403,406,420,506(B) के अंतर्गत कथित अपराध हेतु था। इसी शिकायतकर्ता द्वारा एक पश्चातवर्ती परिवाद दिनांक 27 नवंबर 2015, पी०सी०आर० संख्या 2015 का 14420, बाद में सी०सी० नंबर 2016 का 54 के रूप में क्रमांकित (आरोपपत्र दिनांकित 22 दिसंबर 2015 के दाखिल होने के बाद) अभियुक्तगण (1) मे० प्रमिला संतोष लैण्ड डवलपर्स एण्ड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, (2) डी०टी० संतोष (3) श्रीमती के०जी०प्रमिला के विरूद्ध भा०दं०सं० की धारा 417,418,420,422,120(B) सपठित धारा 34 व धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत कथित अपराध हेतु है।

4- प्रथम परिवाद दिनांकित 29 अप्रैल 2013 इस आरोप के साथ योजित हुआ कि उत्तरदातागण – अभियुक्तगण द्वारा यह प्रतिरूपण किया गया कि वे बल्लूर गांव, अत्तीबेले होबली, अनेकाल ताल्लुक की जमीन के मालिक हैं और उनके पास पूर्ण रूप से कब्जा है व सत्तर एकड़ जमीन खरीदने का वादा किया और अपीलार्थी - शिकायतकर्ता के साथ 26 सितंबर 2012 को एक समझौता किया एवं चेक व डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से 9 करोड़ रूपये (नौ करोड़ रुपये) प्राप्त किया। यह आरोप लगाया गया है कि समझौता ज्ञापन (एम०ओ०यू०) से संलग्न अनुसूची में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या की सीमा तक भूमि शिकायतकर्ता के पक्ष में खरीदी जानी थी। आगे यह बताया गया है कि अपीलकर्ता - शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान की गई अग्रिम राशि के लिए सुरक्षा के रूप में अभियुक्त द्वारा दो चेक जारी किये गये थे। परिवादी का मामला यह था कि 26 सितंबर 2012 के समझौते के बाद, प्रतिवादी - उत्तरदाता समझौते की शर्तों के अनुसार अनुबंध को निष्पादित करने के लिए विफल होने पर 8 नवंबर 2012 को एक और समझौता ज्ञापन यह दर्शित करते हुए कि उनके पास 70 एकड़ कृषि भूमि और 30 एकड़ परिवर्तित भूमि का कब्जा है, किया और उनके द्वारा उस भूमि को अंतरित करने का वचन दिया गया। 8 नवंबर 2012 के समझौता ज्ञापन में मे० श्री सांई डवलपर्स को पक्षकार के रूप में जोड़ा गया। परिवाद के अनुसार, दूसरे समझौता ज्ञापन में भी भूमि की सीमाओं को दर्शित करती हुई सर्वेक्षण संख्या कि अनुसूची थी। 29 अप्रैल 2013 को दायर किये गये परिवाद में आरोप लगाया गया है कि उत्तरदातागण द्वारा पहले ही सर्वेक्षण संख्या 115 और 117 द्वारा आच्छादित भूमि को 7 जून 2012 को मे० श्री सांई डवलपर्स को बेंच दी गई है, उत्तरदातागण द्वारा बेइमानीपूर्ण आशय से कपट किया गया है व सर्वेक्षण संख्या 115 एवं 117 की भूमि को सम्मिलित कर 9 करोड़ की बड़ी धनराशि प्राप्त करके अपीलार्थी के साथ धोखाधड़ी की है। आगे आरोपों में यह भी कहा गया है कि जब संविदा के अनुबंधो के अनुपालन

की मांग की गई, उत्तरदातागण द्वारा परिवादी को धमकी दी गई इसलिये उत्तरदातागण भारतीय दंड संहिता की धारा 403,406,420,506(B) के अंतर्गत अपराध हेतु दंडित किये जाने योग्य है।

5- आगे आरोप लगाया गया है कि पहली अपराधिक परिवाद दाखिल होने के बाद उत्तरदातागण द्वारा अपीलार्थी को धमकी दी गई व दबाव बनाया गया और दूसरा परिवाद दाखिल हुआ। दूसरे परिवाद में यह आरोप लगाया गया कि अभियुक्तगणों में से एक, जिसका नाम डी०सी०थमन्ना है, द्वारा लिखित वचन दिया गया कि 16 मई 2013 से वे विक्रय विलेखों को पंजीकृत कराना शुरू कर देगें परंतु वह ऐसा करने में विफल रहे। आगे आरोप लगाया गया है कि उक्त वचन का पालन करने के बजाय, अपीलार्थी को परिशिष्ट दिनांकित 30 मई 2013 करने के लिए मजबूर किया गया। दूसरे परिवाद में यह आरोप लगाया गया है कि सभी अभियुक्तगण द्वारा अपीलार्थी को बताया गया है कि सर्वेक्षण संख्या 115 और 117 वाली भूमि विक्रय के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए वे अन्य भूमियों से क्षतिपूर्ति करेंगे व उनके द्वारा ट्रस्ट के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख दिनांकित 06.07.2013 की पुष्टिकारी पक्षकार बनने का अनुरोध किया गया। परिवाद में यह वर्णित है कि यद्यपि सर्वेक्षण संख्या 115 और 117 के अंतर्गत आने वाली भूमि के क्रेता को अपीलार्थी नहीं जानता था, लेकिन उसे एक पुष्टिकारी पक्षकार के रूप में बिक्रीपत्र पर हस्ताक्षर कराया गया, जो कि सभी अभियुक्तगण के संविदा के निष्पादन से बचने व अवैध रूप से 9 करोड़ रूपये को रखने के लिए षडयत्रं था। दूसरे परिवाद में, आगे यह आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त द्वारा सुरक्षा के रूप में दी गई चेकें जब प्रस्तुत किये गये तो यह पता चला कि जिस खाते से चेकें जारी की गई थीं वह समझौता दिनांकित 26.09.2012 के पूर्व ही बंद कर दिया गया था। छल, कपट व षडयंत्र का आरोप लगाते हुए यह अभिकथन किया गया है कि उत्तरदातागण भा०दं०सं० की धारा 417,418,420,422,व 120(B) सपठित धारा 34 एवं धन शोधन निवारक अधिनियम के अंतर्गत अभियोजित किये जाने योग्य हैं।

6- इस स्तर पर, यह ध्यान दिये जाने योग्य है कि दूसरे परिवाद में अन्वेषण पश्चात आरोपपत्र भी दाखिल हुआ व सी०सी० क्रमांकित है।

7- उच्च न्यायालय ने उत्तरदातागण- अभियुक्तगण द्वारा धारा 482 दं०प्र०सं० के अंतर्गत दाखिल याचिकाओं को मुख्यतः इस आधार पर स्वीकार किया गया है कि 08.11.2012 को दृष्टिगत रखते हुए, पक्षकारों के बीच संविदा का एक नवीनीकरण है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने 08.11.2012 के समझौता ज्ञापन की अनुसूची पर इस आधार पर अविश्वास किया है कि अतिरिक्त प्रष्ठ प्रष्ठांकित नहीं थे। इसके अलावा

इस आधार पर कि अपीलार्थी ने पहले से ही उसके द्वारा अग्रिम भुगतान किये गये 9 करोड़ रूपये (नौ करोड़ रूपये) की वसूली के लिए एक सिविल वाद दायर किया है और अपीलार्थी ने धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत अपराध हेतु परिवाद दायर किया है, अपीलार्थी बल्लूर गांव के सर्वेक्षण संख्या 115 और 117 के अंतर्गत आने वाली भूमि के विक्रय विलेख में शामिल हो गया है , याचिकाओं को अनुमति दे दी है और कार्यवाही को रद्द कर दिया है।

8- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अरूण जोशी व उत्तरदातागण के लिए उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर० बसंत, सहायक अधिवक्ता श्री आनंद संजय एम०नुली०, को सुना, हमने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश एवं रिकार्ड में उपलब्ध अन्य सामग्री का अवलोकन किया।

9- पक्षकारों में इस संबंध में कोई गहन विवाद नहीं है कि बल्लूर गांव, अनेकल तालुक, बेंगलौर शहरी जिले में अपीलार्थी के पक्ष में भूमि खरीद हेतु संविदा हुई थी औऱ उत्तरदातागण द्वारा डिमांड ड्राफ्ट व चेक के माध्यम से 9 करोड़ रूपये प्राप्त किये गये हैं। अपिलार्थी का यह विशिष्ठ मानना है कि संविदा में उल्लिखित अनुसूची है जिसके अनुसार उत्तरदातागण ने अन्य भूमि के साथ बल्लूर गांव के सर्वेक्षण संख्या 115 और 117 के अंतर्गत आने वाली भूमि की खरीद के लिए सहमति व्यक्ति की है। धारा 482 दं०प्र०सं० के अंतर्गत एक याचिका में यह काफी हद तक तय है कि जहां भी तथ्यात्मक विवाद हो वहां उच्च न्यायालय को कोई निष्कर्ष दर्ज करने की अनुमति नहीं है। मात्र इस आधार पर कि अनुसूची में कोई प्रष्ठांकन नहीं है , उच्च न्यायालय में समझौते की ऐसी अनुसूची पर अविश्वास किया है। अपीलार्थी का यह विशिष्ट मामला है कि बल्लूर गांव की सर्वेक्षण संख्या 115 व 117 के अंतर्गत आने वाली भूमि पहले समझौते से पहले बेच दी गई थी, इस प्रकार उत्तरदातागण द्वारा छल का कार्य किया गया है। अपीलार्थी का यह भी विशिष्ट मामला है कि उत्तरदातागण – अभियुक्तगण द्वारा अग्रिम भुगतान के रूप में 9 करोड़ रूपये की दो चेक सुरक्षा के रूप में जारी किये गये थे लेकिन उक्त चेकों का खाता संविदा किये जाने के पूर्व ही बंद करा दिया गया था। अपीलार्थी द्वारा दायर की गई दूसरा परिवाद स्व- व्याख्यात्मक है और उसे जबरदस्ती बल्लूर गांव के सर्वेक्षण संख्या 115 व 117 से आच्छादित भूमि के लिए निष्पादित विक्रय विलेख में हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। केवल धन वसूली के लिए वाद दायर करना और धारा 138 एन०आई०एक्ट के अंतर्गत परिवाद दाखिल करना अपने आप में कार्यवाही को निरस्त करने का कोई आधार नहीं है। जब अभियुक्तगण के विरूद्ध 9 करोड़ रूपये की बड़ी रकम प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी

और आपराधिक षडयंत्र का आरोप लगाया गया है तो यह एक ऐसा मामला है जिसका विचारण होना चाहिये, परंतु उसी समय उच्च न्यायालय धारा 482 दं०प्र०सं० के अंतर्गत दायर याचिकाओं पर विचार करने के स्तर में विवादित विषय में प्रवेश कर गया। यह सुस्थापित है कि धारा 482 दं०प्र०सं० के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग संयमित ढंग से तब किया जाना चाहिये जब कि परिवाद को पढ़ने पर कथित अपराध का कोई मामला नहीं बनता अथवा जहां पर परिवाद प्रक्रिया के दुरूपयोग किये जाने हेतु दायर किया गया हो। संविदा के साथ कोई अनुसूची संलग्न थी या नहीं इस संबंध में पूर्ण विचारण के बाद निष्कर्ष आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि संविदा भूमि को खरीदने के उद्देश्य से है, इसलिए यह सिविल प्रकृति का है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा है, इसे रद्द करने का कोई आधार नहीं है। यद्यपि अनुबंध सिविल प्रकृति का है, यदि कपट व धोखाधड़ी को कोई तत्व है तो यह संविदा के एक पक्ष के लिए हमेशा खुला होता है कि वह दूसरे पक्ष को कथित अपराध हेतु अभियोजित कर सके। समान रूप से, एन०आई०एक्ट 1881 की धारा 138 के अंतर्गत परिवाद दाखिल करना अथवा वाद दाखिल करना अपने आप में कार्यवाही को निरस्त करने का कोई आधार नहीं है। हमारा मत है कि दं०प्र०सं० की धारा 482 के अंतर्गत याचिका पर विचार करते समय उच्च न्यायालय ने भी गलती की है कि 08.11.2011 को पश्चातवर्ती समझौता द्वारा संविदा का नवीनीकरण हुआ है। संविदा का नवीनीकरण हुआ है अथवा नहीं और ऐसी संविदा करने का क्या प्रभाव है यह मानना केवल पूर्ण विचारण के पश्चात ही विचार किया जा सकता है न कि धारा 482 दं०प्र०सं० के अंतर्गत प्रार्थनापत्र के विचार करने के स्तर पर।

10- अभियुक्त की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर० बसंत ने अपने मामले के समर्थन में इस न्यायालय के एस०डब्लू० पालानित्कर व अन्य बनाम बिहार राज्य व अन्य में दिये गये निर्णय पर भरोसा जताया है और कहा है कि प्रत्येक संविदा भंग का परिणाम दांडिक अपराध नहीं हो सकता, परंतु इसी निर्णय में, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आपराधिक आशय के साथ न्यास भंग से आपराधिक अभियोजन भी शुरू होता है। एक मामले में, कोई आपराधिक आशय है या नहीं, यह एक ऐसा मामला है जिसपर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों व परिवाद की सामग्री आदि को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना आवश्यक है। इस मामले में स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाया गया है कि संविदा दिनांकित 26.09.2012 किये जाने के पूर्व ही भूमि, जो कि अपीलार्थी के पक्ष में खरीदने पर सहमति हुई थी, तीसरे पक्ष को बेच दी गई थी। इतना ही नहीं, परिवादी का विशिष्ट आरोप है कि सुरक्षा हेतु

जारी किये गये चेक उस खाते से जारी किये गये थे जो कि संविदा के बहुत पहले ही बंद कर दिया गया था। विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनिल महाजन बनाम भोर इंडस्ट्रीज लिमिटेड व अन्य के मामले में दिये गये निर्णय पर भरोसा जताया गया है परंतु इस निर्णय में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां बेईमानी व कपटपूर्ण आशय अपराध किये जाने के समय उपस्थित होता है, विधि पीड़ित को गलत काम करने वाले के विरूद्ध न्यास भंग अथवा कपट के अपराध हेतु कार्यवाही करने हेतु अनुज्ञा देती है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा जताये गये एक अन्य मामले इंद्र मोहन गोस्वामी व अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य व अन्य में इस न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय की अंतर्गत धारा 482 दं०प्र०सं० में शक्तियों को दोहराया गया है। मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारा मत है कि विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किये गये उक्त निर्णय उत्तरदातागण के मामले का समर्थन नहीं करेंगे। यह बात भी गौर करने वाली है कि 2015 के पी०सी०आर० नं० 14420 में दर्ज परिवाद का अन्वेषण पूरा हो चुका है और 22 दिसंबर 2015 को आरोपपत्र भी दाखिल हो चुका है।

11- उपर्युक्त कारणों से, हमारा मत है कि उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 दं०प्र०सं० के अंतर्गत दायर की गई याचिकाओं को स्वीकार करके त्रुटि कारित की गई है। तदनुसार दाण्डिक अपील स्वीकार की जाती है औऱ कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलोर द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य आदेश दिनांकित 28.04.2017 को निरस्त किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय में अंकित निष्कर्ष केवल इन अपीलों तक सीमित है तथा इसे मामले की गुण-दोष पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है औऱ विचारण न्यायालय विधि अनुसार कार्यवाही करने तथा परिवादों को उनकी गुण – दोष के आधार पर निस्तारित के लिए स्वतंत्र है।

अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

Digitally signed by SUMIT KUMAR
Date: 2023.11.07 17:35:17 IST
Reason: Translation
Location: District and Sessions Court,Raebareli